न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 05/2011

प्रविष्टि दिनांकः— 21—01—2011

~~श्रीमति धापू पत्नि सल्या जाति मोग्या निवासी ग्राम पथराजखुर्द तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 (मृतक)~~

कल्याणी पुत्री सल्या पत्नि जाति मोग्या निवासी पथराजखुर्द तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक ..... आवेदिका

बनाम

1—श्रीमति सजना पत्नि धन्नालाल जाति जाट निवासी पथराजखुर्द तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।

2—आवण्टन सलाहकार समिति जरिये एस.डी.ओ. टोडारायसिंह

.....प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियग 14(4) भू आवण्टन नियम 1970
विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 21—12—2010

उपस्थित : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन/मनीष कासलीवाल, अभिभाषक आवेदिका
(2) श्री शंकरलाल चौधरी, अभिभाषक प्रतिपक्षी सं01

निर्णय दिनांक 13—04—2017

1— संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2010—2011 के दौरान दिनांक 21.12.2010 को भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा प्रतिपक्षी सं01 के पक्ष में भूमि ख0नं0 779 रकबा 0.70 हे. एवं ख0नं0 777 रकबा 0.05 हे0 कुल 0.75 हेक्टेयर वाके ग्राम पथराज खुर्द तहसील टोडारायसिंह में आवण्टन की है। अतः उक्त आवण्टन निरस्त किये जाने हेतु यह आवेदन आवेदिका द्वारा प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय से आवण्टन पत्रावली मंगवाई गई। बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक आवेदिका ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिपक्षी सं0 2 द्वारा भूमि आवंटन किये जाने से पूर्व मौके की स्थिति की रिपोर्ट नहीं ली गई एवं मौका निरीक्षण भी नहीं किया गया, वादग्रस्त आवंटित भूमि ख0नं0 779 रकबा 0.70 हे. एवं ख0नं0 777 रकबा 0.05 हे0 कुल 0.75 हेक्टेयर वाके ग्राम पथराज खुर्द पर आवेदिका का बरसो से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है, आवेदिका द्वारा ही राज्य सरकार को पेनल्टी जमा कराई गई है जिससे आवेदिका का पुराना कब्जा साबित है, आवंटन के दिन भी आवेदिका का उक्त भूमि पर कब्जा मौजूद था, भूमि आवंटन के दिवस रिक्त नहीं थी, प्रतिपक्षी सं0 1 भूमिहीन काश्तकार नहीं है तथा प्रतिपक्षी सं01 के पास काफी जमीने है। प्रतिपक्षी सं01 को आवंटित भूमि का कब्जा भी नहीं दिया गया है, उसको किया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

गया आवंटन मात्र कागजी आवंटन है, उसे सुपुर्दगीनामा भी नहीं दिया गया है। आवंटी का भूमि पर कब्जा नहीं होने से आवंटन स्वतः ही निरस्त योग्य है। आवेदिका मोग्या जाति से है जिसके पास यही भूमि जीविकोपार्जन के लिये है जबकि प्रतिपक्षी सं01 भूमिहीन नहीं होने से आवंटन की पात्रता नहीं रखती है, आवंटन दोषपूर्ण है। अतः प्रतिपक्षी सं0 1 को ख0नं0 779 रकबा 0.70 हे. एवं ख0नं0 777 रकबा 0.05 हे0 कुल 0.75 हेक्टेयर वाके ग्राम पथराज खुर्द का किया गया आवण्टन निरस्त फरमाया जावे।

4— विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षी सं01 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिपक्षी सं0 1 द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र भरने व पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपरान्त ही आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा समिति की राय से प्रतिपक्षी सं0 1 को निमयानुसार भूमि का आवण्टन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र आवेदिका चलने योग्य नही होने से निरस्त किया जाकर प्रतिपक्षी नं0 1 को किया गया आवण्टन बहाल रखा जावे।

5— अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2010—11 के अन्तर्गत दिनांक 21.12.2010 को प्रतिपक्षी सं01 के पक्ष में भूमि ख0नं0 779 रकबा 0.70 हे. एवं ख0नं0 777 रकबा 0.05 हे0 कुल 0.75 हेक्टेयर वाके ग्राम पथराज खुर्द का आवण्टन करने का आदेश पारित किया गया है। आवेदिका ने इस आवण्टन को इस आधार पर निरस्त कराना चाहा है कि विवादित भूमि पर कदीमी से आवेदिका का कब्जा काश्त चला आ रहा है, मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं ली गई न ही जांच की गई, आवंटन के दिन भूमि रिक्त नहीं थी, बल्कि उस समय भी उक्त भूमि पर आवेदिका का कब्जा काश्त था, उसके बावजूद भूमि प्रतिपक्षी सं0 1 को आवण्टित करदी गई, प्रतिपक्षी सं01 भूमिहीन काश्तकार नहीं है। ये तथ्य प्रार्थी द्वारा सिद्व नहीं कर पाये है। आवण्टन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्षी सं01 के द्वारा विधिवत रूप से भूमि आवण्टन हेतु प्रार्थना पत्र भरकर पेश किये जाने पर ही पटवारी हल्का के द्वारा भी प्रतिपक्षी सं01 को भूमि आवंटन के बारे में रिपोर्ट की गई हे जो बरवक्त आवण्टन भू आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष मोजूद थी। आवण्टन की सिफारिश पटवारी हल्का, गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा की गई है। राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचक थी, बरवक्त भूमि रिक्त थी ओर अप्रार्थी को भी इसी भूमि में से आवण्टन दिनांक 21—12—2010 को ही किया गया था। अतः भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवण्टन विधि अनुसार किया गया है। प्रार्थी बरवक्त आवण्टन मौके पर मोजूद था और यदि उसका उक्त भूमि पर कब्जा काश्त था तथा उसे प्रश्नगत आवण्टन के बाबत कोई आपत्ति थी तो वह आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हैतु स्वतंत्र था लेकिन प्रार्थी ने मौके पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। भूमि आवण्टन से पूर्व जहॉ रिक्त भूमि की सूची एंव उद्घोषणा जारी नही करने का प्रश्न है तो यहॉ उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रश्नगत आवण्टन प्रशासन गॉव के संग अभियान 2010—11 में मजमेआम में पूर्ण कोरम होने व प्रतिपक्षी सं0 1 को भूमिहीन होने पर किया गया है। आवेदिका द्वारा आवंटन को मात्र कागजी आवंटन बताया है लेकिन वे इसे सिद्व नहीं कर पाये है। आवेदिका द्वारा अपनी खातेदारी के संबंध मे नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2053—67 एवं प्रतिपक्षी सं01 की खातेदारी की नकल तथा आवेदिका की खातेदारी की नकल जमाबन्दी में आवण्टित खसरा नंबर व रकबे का अंकन किया है। यदि आवेदिका का विवादित भूमि पर कब्जा भी है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत ही रखता है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

तथा अतिक्रमित भूमि आवण्टन योग्य मानी गई है। उक्त आवण्टन में कोई त्रूटि दृष्टिगोचर प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

6. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 13.04.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner